

सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी, राजस्थान-333031

1(18)/SH/2006-सतर्कता

दिनांक: 08.05.2026


कार्यालय ज्ञापन

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएसआईआर- सीरी के निदेशक कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और यौन उत्पीड़न की शिकायतों तथा उससे संबंधित मामलों की रोकथाम एवं निवारण के लिए सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का निम्नानुसार गठन किया है:-

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. डॉ. (श्रीमती) हसीना खातून, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री. अशोक चौहान , वैज्ञानिक F | - | सदस्य |
| 3. डॉ. कुलदीप सिंह, वैज्ञानिक F | - | सदस्य |
| 4. डॉ. संगीता शर्मा, प्रोफेसर, BITS-पिलानी | - | बाह्य सदस्य |
| 5. श्रीमती शालिनी सक्सेना, वरि. तकनीकी. अधिकारी | - | सदस्य-संयोजक |

आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए या समिति के पुनर्गठन तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।


(मधुरंजन पाण्डेय)
प्रशासन नियंत्रक

प्रति:

उपर्युक्त सभी संबंधित

प्रतिलिपि:

1. निदेशक के निजी सहायक
2. प्रमुख, एआईटीजी – कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. सूचना पट्ट
4. कार्यालय प्रति